भारत में राजभाषा की स्थिति

अखिलेश कुमार शर्मा
शिक्षक
डी.ए.वी. इण्टर कालेज,
झबरेडा (हरिद्वार)

राजभाषा का अर्थ होता है - राज्य के कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा । किसी भी राष्ट्र अथवा राज्य में सुचारू कामकाज के लिए राजभाषा का निर्धारण किया जाता है । भारतीय संविधान में राजभाषा से संबंधित जितने विस्तृत उपबंध निर्दिष्ट किए गए हैं , उतने शायद बहुत कम संविधानों में ही देखने को मिलते हैं । अधिकांश देशों में सम्पूर्ण जनता के लिए या एक बड़े वर्ग के लोगों के लिए भाषा एक ही होती है । उसी भाषा का प्रयोग वे अपनी सभी कार्रवाईयों में करते हैं , इसलिए सांविधानिक विधि में राजभाषा का उल्लेख उन देशों के लिए आवश्यक नहीं होता । परन्तु , जिस देश में दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है वहाँ इन भाषाओं के प्रयोग के परिणाम स्वरूप उठने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए ही संविधान में विशेष उपबंधों का निर्माण आवश्यक हो गया । इन्हीं समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए भारतीय संविधान में एक सम्पूर्ण अध्याय में ही राजभाषा को वर्णित किया गया ।

भारत के स्वतंत्र होते ही हिन्दी का विरोध किया जाने लगा । संविधान के अनुच्छेद 343/1 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी 26 जनवरी 1950 के दिन संघ की राजभाषा स्वीकार की गई , परन्तु उसी के साथ अनुच्छेद 343/2 के अनुसार आगामी 15 वर्षो तक हिन्दी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग पूर्ववत चालू रखने का प्रावधान किया गया । आशा बंधी थी कि 26 जनवरी 1965 के बाद हिन्दी को उसका स्वत्व प्राप्त हो जायेगा, परन्तु इसी बीच में भाषाई प्रान्तों के निर्माण की राजनीति चली और हिन्दी की उपेक्षा की गई । यह भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश का दुर्भाग्य ही है कि देश में सर्वाधिक उपयोग में लायी जाने वाली भाषा हिन्दी को अभी भी द्वितीय राजभाषा के रूप में स्थान दिया गया है । स्वाधीनता - प्राप्ति के तत्काल बाद कोई भी राष्ट्र अपने विकास के लिए सर्वप्रथम अपने देश की राष्ट्र भाषा को ही राजभाषा के रूप में स्थापित करता है किन्तु अपनी स्वाधीनता की स्वर्ण-जयन्ती पूर्ण कर लेने के बाद भी भारत ने ऐसा नहीं किया । यहाँ के राजनेता व विधि - विशेषज्ञ अंगरेजियत के रंग में डूबे हुए हैं और उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं को आधार बनाकर अंग्रेजी को प्रथम राजभाषा के रूप में स्थापित रखने की कोशिश की ।

दक्षिण भारत के कुछ राज्यों तथा पश्चिम बंगाल द्वारा हमेशा से हिन्दी का विरोध किया जाता रहा है और इसी को आधार बनाकर अंग्रेजी को अभी तक प्रमुख राजभाषा के रूप में बनाए रखा गया है । इस सन्दर्भ में यह ध्यातव्य है कि भारत में हिन्दी का उपयोग

करने वालों की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग 43 प्रतिशत है, जबकि अंग्रेजी का उपयोग करने वालों की संख्या कुल जनसंख्या का मात्र 3 प्रतिशत है ।

आज हिन्दी को स्वयं अपनी जगह बनानी होगी । हिन्दी भाषी क्षेत्र इतना विशाल है कि वाणिज्य व्यापार क्षेत्र की देशी - विदेशी हस्तियों के लिए उसकी उपेक्षा करना मुश्किल है । हिन्दी भाषी लोगों को हिन्दी को नव-निर्माण की भाषा बनाना होगा । हिन्दी के उत्थान के लिए सरकार की नहीं वरन जनता के दिल को जीतने की जरूरत है । आने वाली नई शताब्दी के सन्दर्भ में गुरूदेव रवीन्द्र नाथ ठाकुर की इस उक्ति की सत्य होने की उम्मीद की जा सकती है **"जिस हिन्दी भाषा के खेत में ऐसी सुनहरी फसल फली है, वह भाषा कुछ दिन भले ही यों ही पड़ी रहे परन्तु उसकी स्वाभाविक उर्वरता नहीं मर सकती , वहाँ फिर खेती के सुदिन आयेंगे और पौष मास में नवात्र उत्सव होगा । "**

हिन्दी को राजभाषा बनाने के लिए हिन्दी में साहित्य-निर्माण की कम, उसको लोकप्रिय एवं व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता अधिक है । जनता की निष्ठा ही हिन्दी को उसका गौरवपूर्ण पद प्रदान कर सकती है । हिन्दी की समृद्ध परम्परा को देखते हुए उसे प्रमुख राजभाषा के रूप में मान्यता मिलनी ही चाहिए, साथ ही अंग्रेजी को भी सहायक राजभाषा के रूप में अपनाया जाना चाहिए ।

****